AD (OL) Revised RR & Corrigendum

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 39] नई दिल्ली, सितम्बर 22— सितम्बर 28, 2019, शनिवार/भाद्र 31—आश्विन 6, 1941

No. 39] NEW DELHI, SEPTEMBER 22— SEPTEMBER 28, 2019, SATURDAY/BHADRA 31— ASVINA 6, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विलिंडिंग अस्पताल तथा नर्सिंग होम (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **जल शक्ति मंत्रालय**, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, बहु कार्यकर्मचारी वृंद, समूह "ग" पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 की अनुसूची में, स्तम्भ (6) में, शब्द और अंक "18 और 27 के बीच" के स्थान पर शब्द और अंक "18 और 25 वर्ष" रखे जायेंगे ।

[फा. सं. 12018/35/2017- ई-II]

शान्तनु रक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17, तारीख 9 जनवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किये गए ।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 20th September, 2019

G.S.R. 318.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Jal Shakti, Department Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Multi Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018, in the schedule, in column (6), for the words and figures "Between 18 and 27 years", the words and figures "Between 18 and 25 years" shall be substituted.

[F. No. 12018/35/2017-E-II]

SANTANU RAKSHIT, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th January, 2018 *vide* notification number G.S.R. 17, dated the 9th January, 2018 .

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 319.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, में राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया हैं; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	1* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर -10 (रू 56100-177500)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के लिये दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारीः (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (रु.53100-167800) या वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600-151100) या इसके समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रु. 44900-142400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात इस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः- आवश्यकः (i) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री जिसमें अंग्रेजी अनिवार्य या	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः-** 1.निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष 2.सम्बन्धित संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 3.सम्बन्धित निदेशक या उप सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य।	भर्ती करने के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो और अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो और हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम रहा हो; या किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न विषय से मास्टर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई भी एक विषय परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा विषय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और **अनुभवः** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी में शब्दावली (शाब्दिक कार्य) और अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य सम्बन्धी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।		

या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अधीन हिन्दी या अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य भाषा, जो कि संविधान की आठवीं अनुसूची में हो, से 10वीं स्तर में पढ़ा हो। **टिप्पण 1:** विभागीय कनिष्ठ अनुवादक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400-112400) में इस श्रेणी में 8 वर्षो की नियमित सेवा की हो और जो शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित अनुभव को विचार में लिया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति करते समय विभागीय अभ्यर्थी नियुक्त होता है तब इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. एस एम/01/15/2018]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

New Delhi, the 23rd September, 2019

G.S.R. 319.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules

regulating the method of recruitment to the said post of Assistant Director (Official Language) in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/Non Selection post	Age limits for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	1* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500)	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other Qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two years for promotees	Deputation/Promotion.

In case of recruitment by Promotion/Deputation/Absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation /Promotion: **Deputation:** Officers from the Central Government/State Governments/Union Territories: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay-matrix or Level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix; or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7(Rs. 44900-142400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service In the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Masters degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level; or Masters degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1) Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisatio - Chairman (2) Joint Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member (3) Director or Deputy Secretary concerned, Department of Science and Technology - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.

the other as a compulsory or elective subject at the degree level; and **Experience**: (i) Three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research or educational institutions; or 'Three years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central Government or State Governments or Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or universities or recognised research or educational institutions. **Desirable Qualification:** Studied one of the languages other than Hindi included in the 8th schedule to the Constitution at 10th level of a recognised Board. **Note 1**: The departmental Junior Translator in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with eight years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

[F. No. SM/01/15/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.15 10:32:35 +05'30'

AD(OL) Corrigendum

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2004—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215170
CG-DL-W-06012020-215170

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 50] नई दिल्ली, दिसम्बर 15—दिसम्बर 21, 2019, शनिवार/अग्रहायण 24—अग्रहायण 30, 1941
No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 15— DECEMBER 21, 2019, SATURDAY/ AGRAHAYANA 24— AGRAHAYANA 30, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.363.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (केंद्रीय सेवा वर्ग III पद), भर्ती नियम, 1963, को जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर, फोटोग्राफर और अंध कक्ष सहायक, को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में फोटोग्राफर (श्रेणी II और श्रेणी III) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, फोटोग्राफर (श्रेणी II और श्रेणी III), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Director, Zoological Survey of India, Kolkata - Chairman; 2. Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata - Member; 3. Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata - Member.	Not applicable.

[F. No. 01/03/2019-CSZ]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.364.—विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 22-28 सितम्बर, 2019 की साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित सा.का.नि.सं.319 दिनांक 23.9.2019 वाली अधिसूचना में राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची के अंग्रेजी पाठ में निम्नलिखित सुधार किया जाएगा:

उपर्युक्त भर्ती नियम (अंग्रेजी पाठ) के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 12 में उल्लिखित मौजूदा प्रविष्टि में शब्द डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाईजेशियो-चेयरमेन** को डिरेक्टर, नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग **ऑरगेनाईजेशन-चेयरमेन** पढ़ा जाए।

[फा. सं. एसएम/01/15/2018]

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Science and Technology)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th November, 2019

G.S.R.364.—In Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology, Notification bearing GSR No. 319 dated 23.9.2019 published in the Gazette of India, weekly publication dated 22-28 September, 2019, the following correction shall be carried out in the English version of the Schedule annexed to the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2019:-

In the existing entry appearing against Col. 12 of the Schedule annexed to the aforementioned recruitment rules (English version) the words, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisatio - Chairman** may be read as, Director, National Atlas Thematic Mapping **Organisation - Chairman.**

[F. No. SM/01/15/2018]

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.365.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (श्रेणी-।।, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम 1959, जहां तक कि वे अधीक्षक के पद से सम्बंधित है, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी चीजों या करने से छूट गयी चीजों के सिवाय,